



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256730
CG-DL-E-29082024-256730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3331]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

का.आ. 3648(अ)—केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 4 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ.संख्यांक 2628(अ) तारीख 04 जुलाई, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्री विवेक कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम.VI-16/52/2024-खान VI]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2024

S.O. 3648(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 4 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Mines, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), vide S.O. 2628 (E), dated the 04th July, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies Shri Vivek Kumar Bajpai, Joint Secretary, Ministry of Mines as the administering authority for the purpose of the said Act.

[F. No. M.VI-16/52/2024-Mines VI]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.